अति महत्वपूर्ण

संख्या–जी0आई0–105 / एक–11–2021–5(जी) / 2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक : 23 अक्टूबर, 2021**

विषय– कोविड–19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of kin of the deceased) को रू0 50,000/– प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि कोविड–19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0 50,000/– की अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–16/11/20 21–आर.आर दिनांक 11.09.2021(छायाप्रति संलग्न) एवं पत्र संख्या–33–04/2020 एन.डी.एम दिनांक 25.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के कम में कोविड–19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) से रू0 50,000/– की अनुग्रह धनराशि दी जानी है।

2. प्रदेश में upcovid19tracks.in पोर्टल पर कोविड–19 के प्रारम्भ से दिनांक 18.10.2021 तक कोविड–19 से मृतकों की संख्या 22,898 है। उक्त का जनपद वार विवरण **(संलग्नक–1)** पर है। जनपदों को उक्त संख्या के अनुसार अहेतुक सहायता की धनराशि आवंटित की जा रही है।

3. प्रदेश में पंचायत निर्वाचन में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों की कोविड–19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति रू0 30.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तथा कोविड–19 की रोकथाम में लगे कार्मिकों को कोविड–19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति रू0 50.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। उक्त श्रेणी के परिवार को रू0 50.00 हजार की Ex-gratia की धनराशि उपलब्ध नहीं कराया जाना है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0 50,000/– की अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः–

(1) कोविड–19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से रू0 50,000/– की धनराशि प्रति मृतक अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण–पत्र में **"मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुई है"**, अंकित कराना होगा। उक्त के अतिरिक्त मृतक की मृत्यु "मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुई है", को प्रमाणित करने के

Manoj

लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 03.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्रत्येक जनपद स्तर पर अपर जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य या मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष, मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की **Covid-19 Death Ascertaining Committee (CDAC)** गठित की जायेगी। मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ मृतक के परिजन द्वारा अहेतुक सहायता प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र **(संलग्नक–2)** जिलाधिकारी को सभी संलग्नकों सहित प्रस्तुत करना होगा।

(2) जिलाधिकारी द्वारा कोविड–19 से मृत्यु से सम्बन्धित अहेतुक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्रों की प्राप्ति के लिए **"कोविड–19 अहेतुक सहायता आवेदन–पत्र प्राप्ति सेल"** का गठन करते हुए आवश्यक स्टाफ तैनात करते हुए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

(3) आवेदन–पत्र प्राप्ति सेल में तैनात अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र के प्राप्त करते ही उसपर प्राप्ति का कमांक, तिथि व समय अंकित किया जायेगा तथा आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–3)** पर हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर दी जायेगी।

(4) **"कोविड–19 अहेतुक सहायता आवेदन–पत्र प्राप्ति सेल"** में रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें प्रत्येक आवेदन–पत्र की प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–4)** पर की जायेगी। इसी रजिस्टर पर अंकित कमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए आवेदक को दिया जायेगा।

(5) जिन आवेदन–पत्रों के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण–पत्र में कोविड–19 से मृत्यु का उल्लेख नहीं है ऐसे प्रकरणों को चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश **(संलग्नक–5)** के बिन्दु संख्या–4 के अनुसार मृत्यु के कारण के सत्यापन/चिकित्सा प्रमाण–पत्र हेतु गठित कमेटी द्वारा मृत्यु के कारणों का सत्यापन किया जायेगा। उक्त कमेटी द्वारा आवेदकों की शिकायतों का निस्तारण लिखित में स्पष्ट आदेश पारित करते हुए किया जायेगा।

(6) जिलाधिकारी द्वारा **"कोविड–19 अहेतुक सहायता आवेदन–पत्र प्राप्ति सेल"** में प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाईट **rahat.up.nic.in** पर आवेदन–पत्र प्राप्ति से एक सप्ताह के अन्तर्गत फीड किया जायेगा।

(7) जिलाधिकारियों द्वारा राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाईट **rahat.up.nic.in** पर फीडेड लाभार्थियों की संख्या के अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जनपद को किया जायेगा।

(8) राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाईट **rahat.up.nic.in** पर उक्तानुसार फीड किये गये मृतक के परिजनों को अहेतुक सहायता की धनराशि रु0 50,000/– राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए कोषागार के ई–कुबेर

प्रणाली से आधार लिंक्ड डी0बी0टी0 द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी।

(9) जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त सभी दावों का निस्तारण आवेदन–पत्र समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।

(10) कोविड–19 से होने वाली मृत्यु से प्रभावित परिवारों को रू0 50,000/– की अनुग्रह सहायता दिये जाने की यह योजना कोविड–19 महामारी के भविष्य के चरणों में होने वाली मृत्यु/अगली अधिसूचना तक प्रभावी होगी।

कृपया उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकः– यथोक्त।</u>

भवदीय,
Manoj 25.10.21
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या– (1)/एक–11–2021 तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डॉ0 एस0 के0 जेना, संयुक्त सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.inपर अपलोड कराने हेतु।
9. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग–11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक - 1

Annexure-1

S.no	DISTRICT NAME	Total Number of Deceased (Deaths) till 18th October 2021, 6AM
1	AGRA	457
2	ALIGARH	108
3	AMBEDKAR NAGAR	152
4	AMETHI	143
5	AMROHA	203
6	AURAIYA	203
7	AYODHYA(FAIZABAD)	290
8	AZAMGARH	228
9	BADAUN	98
10	BAGHPAT	141
11	BALLIA	234
12	BALRAMPUR	138
13	BANDA	158
14	BARABANKI	225
15	BAREILLY	377
16	BASTI	330
17	BEHRAICH	178
18	BHADOHI	163
19	BIJNOR	126
20	BULANDSHAHAR	242
21	CHANDAULI	356
22	CHITRAKOOT	79
23	DEORIA	220
24	ETAH	99
25	ETAWAH	293
26	FARRUKHABAD	194
27	FATEHPUR	139
28	FIROZABAD	135
29	GAUTAM BUDDHA NAGAR	467
30	GHAZIABAD	461
31	GHAZIPUR	282
32	GONDA	266
33	GORAKHPUR	848
34	HAMIRPUR	102
35	HAPUR	217
36	HARDOI	349
37	HATHRAS	43
38	JALAUN	202
39	JAUNPUR	235
40	JHANSI	663
41	KANNAUJ	114
42	KANPUR DEHAT	110
43	KANPUR NAGAR	1,905
44	KASGANJ	53
45	KAUSHAMBI	70
46	KUSHINAGAR	228
47	LAKHIMPUR KHERI	292
48	LALITPUR	128

S.no	DISTRICT NAME	Total Number of Deceased (Deaths) till 18th October 2021, 6AM
49	LUCKNOW	2,651
50	MAHARAJGANJ	140
51	MAHOBA	86
52	MAINPURI	182
53	MATHURA	402
54	MAUNATHBHANJAN	80
55	MEERUT	898
56	MIRZAPUR	116
57	MORADABAD	349
58	MUZAFFARNAGAR	269
59	PILIBHIT	193
60	PRATAPGARH	163
61	PRAYAGRAJ	1,087
62	RAEBARELI	343
63	RAMPUR	148
64	SAHARANPUR	420
65	SAMBHAL	106
66	SANT KABIR NAGAR	98
67	SHAHJAHANPUR	444
68	SHAMLI	45
69	SHRAVASTI	35
70	SIDDHARTHNAGAR	100
71	SITAPUR	185
72	SONBHADRA	251
73	SULTANPUR	138
74	UNNAO	254
75	VARANASI	971
	TOTAL	**22,898**

संलग्नक–2

कोविड–19 से मृत्यु होने पर अहेतुक सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन–पत्र

मृतक के आश्रित की पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा

1– मृतक का नाम–

2– मृतक के पिता का नाम–

3– मृतक का पूर्ण पता–

4– आर0टी0 पी0सी0आर0 / एन्टीजन / सी0टी0 स्कैन का दिनांक जिससे कोविड–19 प्रमाणित हुआ–(छायाप्रति संलग्न करें)

5– मृत्यु का दिनांक–(मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

6– आधार कार्ड नम्बर–(आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

7– मृतक के आश्रित का नाम–

8– आश्रित का मृतक से सम्बन्ध–

9– आश्रित का बैंक खाता संख्या–(बैंक पासबुकं की छायाप्रति संलग्न करें)
बैंक / शाखा का नाम (आई0एफ0एस0 कोड सहित)

10– आश्रित का मोबाईल नम्बर–

11– आश्रित की ई–मेल आई0डी0–

घोषणा

मैं ....घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य जॉच में असत्य पाया जाता है तो अहेतुक सहायता की धनराशि न दिये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

संलग्नक:–

1–

2–

3–

हस्ताक्षर

मृतक के आश्रित का नाम

दिनांक

पता

Manaf

संलग्नक–3

"कोविड–19 अहेतुक सहायता हेतु आवेदन–पत्र प्राप्ति रसीद"

कम संख्या–

मृतक का नाम–

मृतक के पिता/पति का नाम–

पता–

आश्रित का नाम–

मृत्यु का दिनांक–

आवेदन–पत्र प्राप्त करने का दिनांक–

आवेदन–पत्र के साथ संलग्नकों की संख्या–

आवेदन–पत्र प्राप्त करने वाले
कार्मिक का नाम/पदनाम–

आवेदन–पत्र प्राप्तकर्ता
का हस्ताक्षर एवं मोहर
दिनांक–

Manoj

संलग्नक–4

"कोविड–19 अहेतुक सहायता हेतु आवेदन–पत्र प्राप्ति पंजी"

क्रमांक	मृतक का नाम	मृतक के पिता का नाम	मृतक का पूर्ण पता	RT PCR/ एंटीजेन/सी0टी0 स्कैन का दिनांक	मृत्यु का दिनांक	आधार कार्ड नम्बर	मृतक के आश्रित का नाम	आश्रित का मृतक से सम्बन्ध	आश्रित के बैंक का नाम	आश्रित के बैंक शाखा का नाम	आश्रित के बैंक का खाता नम्बर	आई0एफ0एस0 कोड	आश्रित का मोबाईल नम्बर	आश्रित की ई–मेल आई0डी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Manoj

अति महत्वपूर्ण

संख्या– 803 /एक–11–2021–5(जी)/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2021

विषय– कोविड–19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of kin of the deceased) को रू0 50,000/– प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–जी0आई0 105/एक–11–2021–5(जी)/2021, दिनांक 23.10.2021 जिसके माध्यम से कोविड–19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) से रू0 50,000/– की अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. कोविड–19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 50,000 की अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत उक्त शासनादेश के कम में कतिपय जनपदों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि कोविड–19 से संकमित व्यक्ति जिस जनपद का निवासी था, उसके परिजनों द्वारा उस जनपद के जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाए अथवा संकमित व्यक्ति की जिस जनपद में मृत्यु हुई है वहाँ के जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय।

3. अवगत कराना है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 23.10.2021 के साथ प्रेषित संलग्नक–1 में कोविड–19 से मृत व्यक्तियों की जो जनपदवार संख्या दी गई है वह उस व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट पर अंकित पते के आधार पर है। कतिपय प्रकरणों में प्रभावित व्यक्ति मूल निवासी किसी जनपद का है और उसके द्वारा टेस्ट किसी अन्य जनपद में कराया गया है तो उस स्थिति में स्टेट सर्विलांस आफीसर (एस0एस0ओ0) द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को मूल निवास के जनपद में स्थानान्तरित किया गया है। परन्तु यदि अब भी ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो उसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा विभाग को दी जाएगी ताकि उक्त प्रकरण को स्टेट सर्विलांस आफीसर को सन्दर्भित कर केस को पोर्टल पर स्थानान्तरित किया जा सके। मृतक के परिजन द्वारा अपने मूल निवास के जिलाधिकारी के समक्ष अनुग्रह राशि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 संकमण से मृत्यु की दशा में मृतक जिस जनपद का निवासी था, उसके परिजनों द्वारा उस जनपद के जिलाधिकारी के समक्ष ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति एवं धनराशि का प्रेषण उसके निवास के जनपद द्वारा ही किया जाएगा।

5. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनाँक 23.10.2021 के साथ संलग्न प्रारूपों में अंकित "आश्रित" शब्द के स्थान पर "निकटम परिजन" **(Next of kin of the deceased)** शब्द समझा जाय।

भवदीय,
25.10.21
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–   (1)/एक–11–2021 तद् दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डॉ0 एस0 के0 जेना, संयुक्त सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.inपर अपलोड कराने हेतु।
9. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग–11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

अति महत्वपूर्ण

संख्या- जी0ओ0आई0-111/एक-11-2021-5(जी)/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक: 01 ~~नवम्बर;~~ दिसम्बर 2021**

विषय- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of the kin of the deceased) को रू0 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका (सिविल) संख्या-539/2021 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या-554/2021 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन दिनांक 11.09.2021 के क्रम में कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of the kin of the deceased) को रु0 50,000/-प्रति मृतक को अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश दिनांक 23.10.2021 एवं 25.10.2021 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2. कोविड्-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of the kin of the deceased) को अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-539/2021 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या-554/2021 से सम्बन्धित मिस-1120/2021 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 के क्रम में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है:-

(1) कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक के निकटकतम परिजन को रूपये 50,000/- (पचास हजार) की अनुग्रह सहायता धनराशि देय होगी, भले ही उसे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की किसी अन्य कल्याणकारी योजना में कोई सहायता धनराशि उपलब्ध करायी गयी हो।

(2) कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह धनराशि दिये जाने हेतु अधिकृत डी0डी0एम0ए0/जिला प्रशासन द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु पूर्ण विवरण एवं पते की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा कराया जायेगा तथा सभी मुख्य कार्यालयों यथा ग्राम पंचायत कार्यालय, ताल्लुक पंचायत कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय आदि में भी अनुग्रह धनराशि दिये जाने सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

(3) कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 संक्रमण अंकित होना निर्णायक नही होगा। किसी भी आवेदक को इस आधार पर अनुग्रह सहायता राशि को देने से मना नहीं किया जायेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 से होना

अंकित नहीं है। यदि परिजनों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में अन्य अभिलेख (RT-PCR / Molecular Test/RAT or Clinically determined through Investigation) प्रस्तुत किए जाते है, तो उक्त जाँच रिपोर्ट / चिकित्सालय के प्रमाण पत्र के आधार पर भी मृतक के परिजन अनुग्रह धनराशि रु0 50,000/-प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।

(4) कोविड-19 हेतु किये गये टेस्ट अथवा केस के क्लिनिकली कोविड-19 निर्धारित होने के 30 दिन के भीतर अस्पताल के बाहर अथवा /in-patient facility में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में इसे कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु माना जाएगा।

(5) कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति जो कि 30 दिनों से अधिक की अवधि से अस्पताल अथवा /in-patient facility में था तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गयी हो तो उसे भी कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु ही माना जाएगा।

(6) यदि किसी आवेदक को मृत्यु प्रमाण-पत्र में संशोधन कराना है तो वह मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सम्बन्धित संस्था से सम्पर्क कर संशोधित मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगा। सम्बन्धित संस्था अभिलेखों के आधार पर मृत्यु प्रमाण-पत्र में आवश्यक संशोधन करते हुए पुनः निर्गत करेगी।

(7) यदि किसी आवेदक को मृत्यु के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो वह जनपद में अपर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत करेगा और कमेटी 30 दिन के अन्दर ऐसे सभी प्रकरणों पर निर्णय लेगी। सम्बन्धित कमेटी आवश्यक अभिलेखों को सम्बन्धित अस्पताल अथवा अन्य स्थानों से मंगा कर आवश्यक निर्णय लेते हुए लिखित में आदेश पारित करेगी।

(8) कोविड-19 से पीड़ित कोई व्यक्ति यदि कोविड-19 के प्रमाणित होने के 30 दिन के अन्दर आत्महत्या कर लेता है, तो उसके निकटतम परिजन को भी रूपये 50,000/- (पचास हजार) अनुग्रह सहायता एस0डी0आर0एफ0 से उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) किसी भी आवेदक का प्रार्थना-पत्र किन्हीं तकनीकी कारणों से निरस्त नहीं किया जायेगा अपितु यदि कोई कमी है तो उसको पूर्ण कराते हुए अनुग्रह सहायता धनराशि स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी सम्बन्धित अधिकारी हेल्पिंग हैंड के रूप में कार्य करेंगे जिससे प्रभावित व्यक्ति को त्वरित एवं शीघ्र अनुग्रह सहायता धनराशि उपलब्ध हो सके।

(10) मृतक के निकटतम परिजन द्वारा अन्य सभी वारिसानों से सहमति पत्र/अनापत्ति पत्र आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया जायेगा कि निकटतम परिजन को अनुग्रह धनराशि उपलब्ध कराने में अन्य वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं है। यदि वारिसानों में सहमति नहीं बनती है, तो सभी वारिसानों में धनराशि बराबर-बराबर वितरित की जायेगी।

(11) मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाईट http://rahat.up.nic.in पर दिये गये ऑप्सन "कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन को रूपये 50,000/- (पचास हजार) की अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन पत्र" से ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

(12) कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में सभी मृतकों के निकटतम परिवारीजन को अनुग्रह सहायता धनराशि रु0 50,000/- प्रति मृतक दिया जायेगा। शासनादेश दिनांक 23.10.2021 के साथ संलग्नक-1 में दिनाँक 18.10.2021 तक upcovid-19tracks.in पर फीडेड कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की जनपदवार संख्या प्रेषित की गयी है। उक्त सूची के अतिरिक्त भी जनपदों में कोविड-19 से मृत अन्य व्यक्तियों के परिजनों से भी आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। जनपदों में कोविड-19 से मृत सभी

व्यक्तियों के परिजनों से प्राप्त आवेदन पत्रों को उपरिलिखित एवं शासनादेश दिनांक 23.10.2021 व 25.10.2021 में अंकित निर्देशों के क्रम में परीक्षण करते हुए राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाईट http://rahat.up.nic.in पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिवारीजन को रूपये 50,000/- (पचास हजार) अनुग्रह सहायता धनराशि अतिशीघ्र उनके बैंक खाते में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Manoj 1.12.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- जी0ओ0आई0-111(1)/एक-11-2021 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुणाल सत्यार्थी, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
10. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग-11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

अति महत्वपूर्ण

संख्या–887/एक–11–2021–5(जी)/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक : 06 दिसम्बर, 2021**

विषय– कोविड–19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of the kin of the deceased) को रू0 50,000/– प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका (सिविल) संख्या–539/2021 दिनांक 30.06.2021 एवं रिट याचिका (सिविल) संख्या–539/2021 एवं संख्या–554/2021 से सम्बन्धित मिस0–1120/2021 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 के अनुपालन में कोविड–19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of the kin of the deceased)) को रू0 50,000/–प्रति मृतक को अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश दिनांक 23.10.2021 एवं 01.12.2021 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2. अवगत कराना है कि प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 के प्रस्तर–10(1) में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं:–

"that the next of the kin of the deceased died due to covid-19 shall be paid ex-gratia assistance of an amount of Rs 50,000/-Which shall be treated as ex-gratia payment under section 12(iii)of the DMA.act.2005 and which shall be minimum and which shall be over and above thw compensation/amount to be paid by the Union of India/State Government/Union territories to be declared/provided under different benevolent schemes;

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of the kin of the deceased)) को रू0 50,000/–प्रति मृतक को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि पूर्व में दी गयी निम्न वर्णित अनुग्रह सहायता/बीमित धनराशि के अतिरिक्त (over and above) देय होगी:–

(1) पंचायतीराज विभाग के शासनादेश दिनांक 01.06.2021 द्वारा पंचायत निर्वाचन के दौरान कोविड–19 के संक्रमण से मृत कर्मचारियों के परिजनों को प्रति मृतक दी गयी रू0 30 लाख की अनुग्रह सहायता।

(2) राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 22.06.2021 द्वारा कोविड–19 से बचाव एवं रोकथाम में लगे फ्रंट लाइन वर्कर्स की कोविड–19 संक्रमण से मृत्यु की दशा में दी गयी रु0 50 लाख की अनुग्रह सहायता।

(3) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.05.2021 के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हेल्थ वर्कर्स को देय बीमित धनराशि।

कृपया उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Manoj 6.12.21

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या–887(1)/एक–11–2021 तद् दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.inपर अपलोड कराने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग–11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

आज्ञा से,

Manoj

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

A.D.M NUMBERS

S.No.	Division	S. No.	District	Mobile No.
1	Agra	1	Agra	9454417580
		2	Firozabad	9454417581
		3	Mainpuri	9454417582
		4	Mathura	9454417583
2	Aligarh	5	Aligarh	9454417584
		6	Etah	9454417585
		7	Hathras	9454417586
		8	Kansganj	9454417587
3	Pryagraj	9	Pryagraj	9454417588
		10	Fatehpur	9454417589
		11	Kushambhi	9454417590
		12	Prataparh	9454417591
4	Azamgarh	13	Azamgarh	9454417592
		14	Ballia	9454417593
		15	Mau	9454417594
5	Bareilly	16	Bareilly	9454417595
		17	Badaun	9454417596
		18	Pilibhit	9454417597
		19	Shahajahanpur	9454417598
6	Basti	20	Basti	9454417599
		21	Sant Kabir Nagar	9454417600
		22	Siddharth Nagar	9454417601
7	Chitrakut	23	Chitrakoot	9454417603
		24	Banda	9454417602
		25	Hamirpur	9454417604
		26	Mahoba	9454417605
8	Devipatan	27	Bahraich	9454417606
		28	Balrampur	9454417607
		29	Gonda	9454417608
		30	Shravasti	9454417609
9	Faizabad	31	Ayodhya	9454417612
		32	Barabanki	9454417611
		33	Ambedkar Nagar	9454417610
		34	Sultanpur	9454417613
		35	Amethi	9454418892
10	Gorakhapur	36	Gorakhapur	9454417615
		37	Deoria	9454417614
		38	Kushi Nagar	9454417616
		39	Maharajganj	9454417617

11	Jhansi	40	Jhansi	9454417618
		41	Jalaun	9454417619
		42	Lalitpur	9454417620
12	Kanpur	43	Kanpur Nagar	9454417625
		44	Etawah	9454417622
		45	Farrukhabad	9454417623
		46	Kanpur Dehat	9454417624
		47	Auriaya	9454417621
		48	Kannauj	9454417626
13	Lucknow	49	Lucknow	9415005004
		50	Hardoi	9454417627
		51	Lakhimpur Kheri	9454417629
		52	Rai Bareilly	9454417630
		53	Sitapur	9454417631
		54	Unnao	9454417632
14	Meerut	55	Meerut	9454417637
		56	Bulandshahar	9454417634
		57	G.B. Nagar	9454417635
		58	Gaziabad	9415074707
		59	Hapud	9454449861
		60	Bagpat	9454417633
15	Mirzapur	61	Mirzapur	9454417638
		62	Sant Ravidas	9454417639
		63	Sonbhadra	9454417640
16	Moradabad	64	Moradabad	9454417643
		65	Amroha	9454417642
		66	Bijnor	9454417641
		67	Sambhal	9454416862
		68	Rampur	9454417644
17	Saharanpur	69	Saharanpur	9454417646
		70	Muzaffar Nagar	9454417645
		71	Shamli	9454418995
18	Varanasi	72	Varanasi	9454417650
		73	Gazipur	9454417648
		74	Jaunpur	9454417649
		75	Chandauli	9454417647